

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे ।। 4816

दिनांक :- 24/3/24

आदेश संख्या : 69/2024-25

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.22(01)चिस्वा/2/2022 दिनांक 23/05/2022 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैडर स्ट्रेथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़ (22297)	0	0	1	0	0	0
2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बहरोड़ कोटपूतली-बहरोड़ (8001847)	0	0	0	0	0	2
3	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (22734)	0	0	1	0	0	0
4	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ (8001845)	0	0	0	0	0	2
5	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवलगढ़ झुंझनू (23299)	0	0	1	0	0	0
6	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय नवलगढ़ झुंझनू (8001846)	0	0	0	0	0	2
7	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालसोट दौसा (22930)	0	0	1	0	0	0
8	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय लालसोट दौसा (8001844)	0	0	0	0	0	2
	योग	0	0	4	0	0	8

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेथ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेथ	2595	3915	5752	12262
नवीन कैडर स्ट्रेथ	2594	3915	5760	12270


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे I / 4816

दिनांक :- 24/9/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(के.जी./गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)